राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप–6) विभाग

क्रमांकः– 9(30)राज–6 / 2017/111 जयपुर, दिनांकः 09.10.19

समस्त सभांगीय आयुक्त
राजस्थान।

प्रशासनिक सुधार विभाग की आदेश क्रमांक प.6 (35) प्र.सु. / अनु.3 / 99 दिनांक 13.8.99 द्वारा राज्य की सभी प्रकार की वन भूमियों के राजस्व रेकार्ड में दरामद की कार्यवाही को अभियान के तौर पर पूर्ण करवाने के लिए जिला स्तर पर जिला कलक्टर की अध्यक्षत में समिति का गठन किया गया था। जिसका कार्यकाल समय–समय पर प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा इस संबध में जारी आदेशों द्वारा बढ़ाया गया।

उक्त आदेशों के अतिलंघन में प्रशासनिक सुधार विभाग ने आज्ञा क्रमांक प.6 (35) प्र.सु. / अनु.3 / 99 दिनांक 10.6.2019 द्वारा अवशेष वनभूमि के राजस्व अभिलेखों में अमल दरामद तथा रेखांकन कार्य के शीघ्र निस्तारण के दृष्टिगत संभाग स्तर पर संभागीय आयुक्त की अध्यक्षता में समिति का स्थाई गठन किया गया है।

प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा जारी आज्ञा दिनांक 10.6.2019 की प्रति सलंग्न प्रेषित कर निर्देशानुसार लेख है कि आप अपने सभांग के अधीन प्रत्येक जिले की अवशेष वनभूमि के राजस्व अभिलेखों में अमल दरामद तथा रेखांकन कार्य के शीघ्र निस्तारण के लिये समिति की बैठक आयोजित करे एवं अमल दरामद / रेखांकन कार्य में आने वाली कठिनाईयों का शीघ्र निरतारण करें। इसके पश्चात समस्त जिला कलक्टर व जिला वन अधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षर से यह प्रमाण पत्र भिजवाये कि समस्त वन भूमियों का अमल–दरामद राजस्व अभिलेखों में कर दिया है।

सलंग्न– उक्तानुसार

Sd/-
(कलमेश आबूसरिया)
उप शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. विशिष्ठ सचिव, मा0 राजस्व मंत्री महोदय।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, वन विभाग।
4. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान।
5. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, अरण्य भवन, जयपुर।

09/10/19
उप शासन सचिव

Girraj letter/dsrevenue6@gmail.com

Scanned by CamScanner

राजस्थान सरकार
प्रशासनिक सुधार (अनुभाग–3) विभाग

क्रमांक प.6(35) प्र.सु/अनु.–3/99

जयपुर दिनांक 10-6-2019

:: आज्ञा ::

समन्वय समिति की बैठक दिनांक 17.06.99 में लिये गये निर्णय के कम में राज्य की सभी प्रकार की वन भूमियों के राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद की कार्यवाही को अभियान के तौर पर पूर्ण करवाने के लिए जिला स्तर पर इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 31.08.99 से जिला स्तर पर जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया था जिसका कार्यकाल समय–समय पर समसंख्यक आदेश दिनांक 24.02.2001, 19.02.2003, 27.6.05, 9.5.07, 14.11.2011 01.05.2013, एवं 15.9.2016 से दिनांक 31.12.2018 तक बढ़ाया गया था।

उक्त समस्त आदेशों के अतिलघंन में अवशेष वनभूमि के राजस्व अभिलेखों में अमल दरामद तथा रेखांकन कार्य के शीघ्र निरतारण के दृष्टिगत संभाग स्तर पर संभागीय आयुक्त की अध्यक्षता में समिति का गठन स्थाई एतद् द्वारा निम्नानुसार किया जाता है:–

1.	संभागीय आयुक्त (संबंधित संभाग)	अध्यक्ष
2	उप निवेशन आयुक्त (केवल बीकानेर तथा जोधपुर संभाग के लिए) अथवा उनका प्रतिनिधि	सदस्य
3	आयुक्त, भू–प्रबन्ध, राजस्थान जयपुर अथवा उनका प्रतिनिधि	सदस्य
4	संबंधित संभाग के जिला कलेक्टरगण	सदस्य
5	संबंधित संभाग के उप वन संरक्षक (प्रादेशिक)/ (वन्यजीव)	सदस्य
6	वन्यजीव प्रभाग के मुख्य वन संरक्षक/ क्षेत्र निदेशक	सदस्य
7	संभागीय मुख्य वन संरक्षक	सदस्य सचिव

समिति की टर्मस ऑफ रेफरेन्स निम्नानुसार होगी :–

1. संभाग के अधीन प्रत्येक जिले में समिति वन भूमि के अमल दरामद व रेखांकन कार्य की समीक्षा त्रैमासिक रूप से करेगी तथा अमल दरामद/रेखांकन कार्य में आने वाली कठिनाईयों का निरतारण करेगी।
2. समिति द्वारा किये गये कार्यो/निर्णयों की सूचना वन विभाग को भिजवाई जाएगी।
3. समिति का प्रशासनिक विभाग वन विभाग होगा।

आज्ञा से,

10/6/19

(डा0 प्रेम सिंह चारण)
संयुक्त शासन सचिव

D:\Backup\Bhargava\Order Committee Year 2019.docx

Scanned by CamScanner